भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

31/7/2013

(157)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश कैम्प भोपाल

F. 2787/13

प्र.क्र.................

ममताबाई पत्नी कमलसिंह रघुवंशी
नि.- ग्राम पिपलिया कलां, तह0 सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद - आवेदिका

विरूद्ध

1. गंभीरसिंह पिता श्रीराम रघुवंशी
2. राजेश कुमार पिता श्रीराम रघुवंशी
3. संतोषसिंह पिता श्रीराम रघुवंशी

सभी निवासी-ग्राम कासखेडी तह0 सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद - अनावेदकगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

आवेदिका यह निगरानी याचिका मान0 तहसीलदार महोदय सिवनी मालवा के राजस्व प्र.क्र.11अ/6/12-13 ग्राम कांसखेडी में आदेशिका दि.26.06.13 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत करती है :-

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने मान0 न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109, 110 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 का प्रस्तुत किया है जो लंबित है। उक्त प्रकरण का नोटिस आवेदिका को प्राप्त हुआ तब उसने सर्वप्रथम मान0 अधी0 न्यायालय के समक्ष यह आपत्ति प्रस्तुत की कि नामातंरण का प्रकरण किसी भी दशा में चलने योग्य नही है। क्योकि अनावेदकगण ने अ0वि0अ0 महोदय सिवनी मालवा के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की थी, वह बंटवारा आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की थी। अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित निर्देशो के साथ किया गया।

अनावेदकगण ने प्रत्यावर्तन आदेश पर कोई कार्यवाही न करते हुये नवीन आवेदन पत्र नामातरंण हेतु प्रस्तुत किया जिस पर आवेदिका ने आपत्ति प्रस्तुत की थी। प्रत्यावर्तित प्रकरण पर ही कार्यवाही होना चाहिये और यह भी आपत्ति की कि नामातंरण प्रकरण किसी भी दशा में चलन योग्य नही है, साथ ही यह भी आपत्ति ली कि विवादित संपत्ति के सबंध में एक व्यवहार वाद क्र. 239/अ/9 श्रीराम व अन्य वि. ममताबाई व अन्य विचाराधीन है जिसमें आवेदिका के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दाविया संपत्ति के सबंध में अनावेदकगण के विरूद्ध जारी किया गया है। इसलिये भी नामातंरण प्रकरण

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3019-पीबीआर/2013 जिला होशंगाबाद

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो। उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	